न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – नेहा छीपा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 301/2014

अनवान

1 बालमुकन्द पिता जेठमल सुनार उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला–भीलवाडा
——वादी

बनाम

1 कन्हैयालाल पिता रामेश्वर लाल सुनार उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ हाल निवासी आदर्श नगर पेट्रोल पम्प के सामने वाली गली, कपासन, जिला चितौडगढ
2 भैरूलाल पिता रामेश्वर लाल सुनार उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ हाल निवासी आदर्श नगर पेट्रोल पम्प के सामने वाली गली, कपासन, जिला चितौडगढ
3 लीला देवी पुत्री रामेश्वर लाल सुनार मृतक के बजाय विधिक वारिस–
3/1 चान्दमल पिता तुलसीराम सुनार उम्र वयस्क निवासी आकोदडा पोस्ट पाखण्ड तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द राज.——**डिलीट**
3/2 चन्द्रप्रकाश पिता श्यामलाल सुनार (सोनी) उम्र वयस्क निवासी कपासन जिला चितौडगढ राज.
4 गोपाल लाल पिता जेठमल सुनार मृतक के बजाय विधिक वारिस–
4/1 सुनील कुमार पिता गोपाल लाल सुनार उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला–भीलवाडा
4/2 दीपक पिता गोपाल लाल सुनार उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला–भीलवाडा
4/3 आशा पुत्री गोपाल लाल सुनार उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला–भीलवाडा
4/4 उर्मिला देवी पत्नि गोपाल लाल सुनार उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला–भीलवाडा
5 राज. राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा
6 राज. राज्य जरिये उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय हमीरगढ जिला भीलवाडा
——प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री शिव सिंह चारण अधिवक्ता वादी उप0
श्री कैलाश चन्द्र आचार्य वकील प्रतिवादी उप0
पेरोकार सरकार विपक्षी क्रम 05,06 उप0

–:: निर्णय ::–

दिनांक 06.06.2024

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने एक नियमित वाद पत्र बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का क्षेत्र हमीरगढ की सरहद में स्थित साबिक खसरान 1283, 1282, 1280 श्री

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

मथुरालाल पिता पन्नालाल सुनार निवासी हमीरगढ के मालिकाना हक स्वमित्व में थी। जिसका रजिस्टर्ड बिकाव वादी के पिता श्री जेठमल जी सुनार के पक्ष के कर दिया। निष्पादित विक्रय विलेख दिनांकित 29.05.1950 को वादी के पिता श्री जेठमल जी ने पंजीयन कार्यालय हमीरगढ में दिनांक 30.05.1950 पंजीकृत कराया। खरीद दिनांक से वादी के पिता वादग्रस्त आराजियात पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। भूप्रबन्ध कार्यवाही के नवीन बंदोबस्त में साबिक खसरान से हाल आराजियात संख्या 3014, 3015, 3020, 3021, 3023, 3024, 3027, 3028 किता 8 रकबा 1.4037 हैक्टयर नवीन निर्मित नम्बरान कायम हुए। तदोपरान्त कालावधी में वादी के पिता श्री जेठमल जी का देहान्त दिनांक 10.05.1990 को हो गया और उसके बाद माता जी का भी देहावसान दिनांक 14.10.2001 को हो गया। पिता की मृत्यू पश्चात विधिक उत्तराधिकारी के रूप में वादी व प्रतिवादी संख्या 04 ही कृषि भूमि पर निर्बाध काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। वादी के पिता उक्त कृषि भूमि के सद्भाविक खरीददार थे और खरीद के आधार पर विधिक उत्तराधिकारी के रूप केवल वादी व प्रतिवादी संख्या 04 का ही हक स्वामित्व निहित होना चाहिए था। लेकिन बिना कोई विधिक आदेश के प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के पिता श्री रामेश्वर लाल जी का नाम वादग्रस्त आराजियात के राजस्व अभिलेखों में दोषयुक्त अभिलिखित कर दिया गया। जबकि श्री रामेश्वर लाल जी का इस कृषि भूमि पर कोई सारोकार ही नही रहा है। श्री रामेश्वर लाल की मृत्यूपरान्त विरासत प्रक्रिया से के स्थान पर उनके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का नाम अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया। जबकि उनका कोई विधिक अधिकार इस सम्पदा में कभी रहा ही नही था। दोषपूर्ण ईन्द्राज हो जाने से मन मे फितूर उत्पन्न हो चुका था और इसी कारण से प्रतिवादी संख्या 01 से 03 आये दिन वादी व प्रतिवादी संख्या 04 को मौके पर काबिज भूभाग से बैदखल करने का प्रयास करने लगे। वादी व प्रतिवादी संख्या 04 उक्त कृषि आराजियात पर कानूनन मालिकाना हक स्वामित्व रखते है।

अतः ग्राम हमीरगढ प.ह.क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ की सरहद में स्थित हाल खसरा संख्या 3014, 3015, 3020, 3021, 3023, 3024, 3027, 3028 किता 8 रकबा 1.4037 हैक्टयर भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का नाम विलोपित कर, के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 04 का संयुक्त हक आधिपत्य निर्धारित कर, वादी व प्रतिवादी संख्या 04 को सहखातेदार काश्तकार घोषित किए जाने आशय की घोषणात्मक डिक्री सादर पारित फरमाई जावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दिनांक 03-11-2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01, 02 को कितनी ही मर्तबा आवाजें लगाये जाने के उपरान्त भी स्वयं विपक्षीगण अथवा उनकी और से कोई वैद्य प्रतिनिधि पैरवी हेतु हाजिर नही होने से प्रतिवादी संख्या 01, 02 विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। वाद विचारण दौरान मृतक प्रतिवादीया संख्या 03

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

स्व. लीला देवी के विधिक उत्तराधिकारी को रेकार्ड पर लिए जाने के उद्देश्य से प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुतशुदा प्रार्थनापत्र दिनांकित 31.05.2018 अन्तर्गत धारा आदेश 22 नियम 04, एवं धारा 151 जा.दी. एवं प्रार्थी श्री चन्द्रप्रकाश सोनी की ओर से प्रस्तुतशुदा प्रार्थनापत्र धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांकित 19.02.2019 दोनों प्रार्थनापत्रों पर गत सुनवाई को वकुलाय फरिकेन द्वारा प्रस्तुत की गई बहस सुनी गई। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की उपधारा 2 में इसका स्पष्ठ उल्लेख है कि यदि कोई सम्पति जो हिन्दु नारी को अपने पिता से विरासत से प्राप्त हुई हो, मृतक होने के पश्चात अपनी सन्तान नही होने की दशा में द्वितीय श्रैणी के वारिसान यानि भाई, बहिन व माता के अभाव में मृतक पत्नि का पति उस सम्पति पर आधिपत्य प्राप्त कर सकेगा। किन्तु इस मामले में स्व. लीला देवी की जाईन्दा संतान अस्तीत्व में है। दूसरी ओर स्व. लीला देवी द्वारा पूर्व पति श्यामलाल का कानूनी रूप से हुए तलाक और चान्दमल व स्व. लीला देवी के मध्य सामाजिक रिती रिवाज/विधि विधान से विवाह के प्रमाण में अप्रार्थी ने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नही कराया है, जिससे अप्रार्थी के अभिकथनों की ताईद हो सके। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 मे वर्णित प्रावधानों के अधीन प्रार्थी चन्द्रप्रकाश सोनी प्रथम श्रैणी का वारिस होने से स्व. लीला देवी का विधिक कायम मुकाम बनने का कानूनन हक अधिकार रखता है।

परिणामस्वरूप, प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुतशुदा प्रार्थनापत्र दिनांकित 31.05.2018 अन्तर्गत धारा आदेश 22 नियम 04, एवं धारा 151 जा.दी. एवं प्रार्थी श्री चन्द्रप्रकाश सोनी की ओर से प्रस्तुतशुदा प्रार्थनापत्र धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांकित 19.02.2019 दोनों प्रार्थनापत्रों इस प्रकार मजूंर किया गया कि वादपत्र में श्री चान्दमल को स्व. लीला देवी के कायम मुकाम के स्थान से हटाया जाकर के बजाय प्रार्थी श्री चन्द्रप्रकाश सोनी को विधिक वारिस मानते हुए बतौर प्रतिवादी संयोजित किया गया। प्रार्थनापत्र दिनांकित 31.05.2018 अन्तर्गत धारा आदेश 22 नियम 04, एवं धारा 151 जा.दी. को बादं परीक्षण स्वीकार किया जाकर मृतक प्रतिवादी संख्या 04 गोपाल पिता जेठमल सुनार के विधिक वारिसान को रेकार्ड में लिये जाने की आज्ञा पारित की गई।

प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत कराये गये प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता पर बाद विश्लेषण यह पाया गया कि आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रावधानों वादपत्र में उलंघन होना नही पाया गया। क्यों कि वादपत्र में दावाकृत अनुतोष का मुल्यांकन कानूनन सही एंव उचित साबित हुआ है तथा धारा 07(11) जा.दी. में हेतुक उत्पन्न न होना, कोर्ट फीस, बार्ड बाई लॉ के बिन्दुओं पर विचार किया जाता है। जिसमें न्यायालय को किसी प्रकार की खामी नजर नही आई है।

वाद विचारण दौरान ही प्रकरण को अन्तिम रूप से निपटारे के उद्देश्य से वकूलाय फरीकेन एवं पक्षकारान उभयपक्ष द्वारा एक राजीनामा पत्र दिनांक 06.06.2024 को दावें में प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
हर्मारगढ (राज.)

हुआ। जिसका उल्लेख आदेशिका पर किया गया है। उपस्थित आये उभयपक्षों ने मामलें के अति–आवश्यक होने का कथन रखते हुए, प्रस्तुत कराये गये राजीनामें को बाद तस्दीक सहमती से निपटारे का अनुरोध किया।

वाद विचारण दौरान ही प्रकरण प्रस्तुत आये राजीनामें को आधार मानते हुए अन्तिम रूप से निपटारे के उद्देश्य से प्रकरण का अधो–पांत अवलोकन किया गया। वादपत्र के समर्थन मे प्रस्तुत राजस्व अभिलेख दस्तावेजात के ध्यानपूर्वक परीक्षण/विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वादी के पिता वादग्रस्त कृषि भूमि के सद्भाविक खरीददार थे और खरीद के आधार पर विधिक उत्तराधिकारी के रूप केवल वादी व प्रतिवादी संख्या 04 का ही हक स्वामित्व निहित होना चाहिए था। लेकिन बिना कोई विधिक आधार के प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के पिता श्री रामेश्वर लाल जी का नाम वादग्रस्त आराजियात के राजस्व अभिलेखों में दोषपूर्ण अभिलिखित कर दिया गया। जबकि श्री रामेश्वर लाल जी का इस कृषि भूमि पर कोई सारोकार ही नही रहा है। श्री रामेश्वर लाल की मृत्यूपरान्त विरासत प्रक्रिया से के स्थान पर उनके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का नाम अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया। वादी की ओर अपने समर्थन में प्रस्तुत किए गये प्रदर्श दस्तावेज रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 30.05.1950 से भी खरीद ताईद हुई है। बाद विश्लेषण न्यायालय यह मानता है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 04 उक्त कृषि आराजियात पर कानूनन मालिकाना हक स्वामित्व रखते है।

:: आदेश ::

वाद–पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि–वाके ग्राम हमीरगढ प.ह.क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ की सरहद में स्थित हाल खसरा संख्या 3014, 3015, 3020, 3021, 3023, 3024, 3027, 3028 किता 8 रकबा 1.4037 हैक्टयर भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के नाम का अंकन विलोपित कर, खसरान में केवल वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4/1 से लगायत 4/4 को हक हिस्से अनुसार बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित करते हुए, राजस्व रेकार्ड में इस आशय का अंकन कर, दुरूस्तिकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार हमीरगढ तद्नुसार पालना करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैशल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारीः— नेहा छीपा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 301/2014

अनवान

1 बालमुकन्द पिता जेठमल सुनार उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला—भीलवाडा

———वादी

बनाम

1 कन्हैयालाल पिता रामेश्वर लाल सुनार उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ हाल निवासी आदर्श नगर पेट्रोल पम्प के सामने वाली गली, कपासन, जिला चितौडगढ
2 भैरूलाल पिता रामेश्वर लाल सुनार उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ हाल निवासी आदर्श नगर पेट्रोल पम्प के सामने वाली गली, कपासन, जिला चितौडगढ
3 लीला देवी पुत्री रामेश्वर लाल सुनार मृतक के बजाय विधिक वारिस—
3/1 चान्दमल पिता तुलसीराम सुनार उम्र वयस्क निवासी आकोदडा पोस्ट पाखण्ड तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द राज.———**डिलीट**
3/2 चन्द्रप्रकाश पिता श्यामलाल सुनार (सोनी) उम्र वयस्क निवासी कपासन जिला चितौडगढ राज.
4 गोपाल लाल पिता जेठमल सुनार उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला—भीलवाडा
5 राज. राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा
6 राज. राज्य जरिये उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय हमीरगढ जिला भीलवाडा

———प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— श्री शिव सिंह चारण अधिवक्ता वादी उप0
श्री कैलाश चन्द्र आचार्य वकील प्रतिवादी उप0
पेरोकार सरकार विपक्षी क्रम 05,06 उप0

दिनांक— 06.06.2024

वाद—पत्र डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण राजीनामे के आधार पर इस प्रकार जारी की जाती है कि—वाके ग्राम हमीरगढ प.ह.क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ की सरहद में स्थित हाल खसरा संख्या 3014, 3015, 3020, 3021, 3023, 3024, 3027, 3028 किता 8 रकबा 1.4037 हैक्टयर भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के नाम का अंकन विलोपित कर, खसरान में केवल वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4/1 से लगायत 4/4 को हक हिस्से अनुसार बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित करते हुए, राजस्व रेकार्ड में इस आशय का अंकन कर, दुरूस्तिकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार हमीरगढ तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करे।

आज यह अन्तिम डिक्री दिनांक 06.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी,
हमीरगढ जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)